शहर में बड़े मॉल एवं भवनों के निर्माण का दौर जारी

पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, बनी रहती है जाम की स्थिति

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 नवंबर। पन्ना शहर मे भी धीरे धीरे मॉल संस्कृति परवान चढ़ रही है। विशेषकर सिविल लाईन एवं छतरपुर तथा सतना मार्ग पर बडे बडे मॉल एवं बहुमंजिला भवन खड़े हो गये हैं। लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था किये जाने से जाम की स्थिति अवश्य निर्मित हुई है।

नगर पालिका ने ऐसे भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी किन्तु ऐसे भवनों में पार्किंग के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। यदि कहीं की भी गई तो उस स्थल का उपयोग ही नहीं हो रहा है। वहां तो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा हे अथवा वहां स्टोर रूम बना दिये गये हैं। लिहाजा नोपार्किंग में दो पहिया से लेकर चार पहिया तक खड़े होते हैं। बावजूद इसके इस मामले को यहां का नगर पालिका प्रशासन आज तक गंभीरता से नही लिया। यदाकदा नगर पालिका कार्रवाई के नाम पर वाहन एवं अमले को लेकर पहुचता है खानापूर्ति करता है और उसके बाद फिर अनिश्चितकाल के लिये कार्रवाई में विराम दे दिया जाता है। यही कारण है। कि शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है एवं प्रभावी तरीके से चालानी कार्रवाई भी नही होती। होटल एवं व्यावसायिक भवनों को चिन्हित करने में परहेज क्यों ? वास्तव में प्रशासन को शहर के ऐसे व्यावसायिक भवनों एवं बड़े-बड़े होटलों को चिन्हित किया जाना चाहिये। जहां पार्किंग के लिये सड़कों या सड़क सीमा का उपयोग किया जाता है। यदि ऐसे प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया जाता है तो इनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। पूर्व में इस मामले में कुछ भवनों को चिन्हित भी किया गया था। किन्तु बाद में लगता है कि मामला मैनेज हो गया। लिहाजा कोई कार्रवाई नही हुई। वर्तमान में तो ऐसे भवनों की संख्या काफी अधिक हो चुकी है। जहां पहले रिहायसी भवन थे अथवा सिंगल स्टोरी दुकानें थी वहां वर्तमान में बहुमंजा माल खड़े हो चुके है या खड़े होते जा रहे हैं। बावजूद इसके भवन अनुज्ञा की अनुमति देने वाला यहां का नगर पालिका, उसके इंजीनियर जोन प्रभारी एवं उनका अधीनस्थ अमला यह देखने का प्रयास ही नहीं करता कि शर्तों के अनुसार भवन का निर्माण हुआ या नहीं। कार्रवाई तभी तक होती है जब ऊपर से आदेश होते हैं कि जांच किया जाय कि अनुमति से अधिक निर्माण कहां-कहां किया गया है। जांच की जाय कि निर्मित व्यावसायिक भवनों में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं। फिर सर्वे के नाम पर कई लाख जमा करने एवं कंपाउन्डिंग के नाम पर नोटिस जारी होती है। इसके बाद फिर जो खेल होता है वह डकैती से कम नहीं होता। जहां स्वहित में अधिक एवं नगर नगर पालिका के हित में कम विचार होता है। यही कारण है कि एक बार जहां मामला मैनेज हो जाता है उसके बाद फिर कुछ समय तक के लिये मामला शान्त हो जाता है।

यहां अधिक मात्रा में खड़े होते हैं दो-चार पहिया वाहन

यहां कई ऐसे होटल हैं जहां उनके सामने सड़को में कई वाहन दिन भर खड़े देखे जाते है। इसकी वीडियोग्राफी भी नगर पालिका प्रशासन करवा सकता है। यदि सड़क में दस-बीस चार पहिया एवं दो पहिया वाहन भी खड़े हो गये तो फिर चलने लायक सड़क ही नहीं बचती। इसी तरह से जहां व्यावसायिक भवनों में कई शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय संचालित होते हैं, बैंक संचालित होते हैं, दुकाने भी संचालित होती हैं। मुख्य बाजार हो या चैक चैराहों से लगा हुआ क्षेत्र हो वहां नोपार्किंग में जहां सैकड़ों वाहन खडें किये जाते हों तो वहां कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिये। क्या नगर पालिका को कार्रवाई के लिये केवल ठेले और गोमती वाले ही सबसे अधिक अतिक्रमणकारी, अनाचारी व अत्याचारी नजर आते हैं। पूंजीपति और बड़े कारोबार समझ में नहीं आते। क्या उनके धनबल के कारण सारे नियम कायदे शिथिल कर दिये जाते हैं? इस तरह के सवाल तब तक खड़े होते रहेंगे जब तक निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई को अंजाम नहीं देता।

आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय को कर्मयोगी पुरस्कार, प्रदेश मे मिला तीसरा स्थान

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र और राज्य कर्मचारियों को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल बनाया गया।

इस पोर्टल में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग संबंधी विषय, योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्स तैयार किए गए। इसके साथ ही जीवन प्रबंधन संबंधी, कार्यस्थल प्रबंधन संबंधी भी कोर्स तैयार किए गए। केंद्र और राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मयोगी पोर्टल से न्यूनतम प्रशिक्षण अनिवार्य किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तो इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। पन्ना जिले में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय द्वारा आबकारी विभाग में पूरे मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। इस संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय से पत्र जारी कर बताया गया कि विभाग के टॉप 10 कर्मयोगी लोकसेवकों को आबकारी आयुक्त द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के अन्तर्गत पन्ना में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय को भी राज्य स्तर पर कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। श्री पाण्डेय की इस उपलब्धि पर जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य, सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा बधाई दी गई।

कलेक्टर पहुंचीं अजयगढ़, उर्वरक वितरण व्यवस्था का लिया जायजा

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 10 नवंबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को सायं अजयगढ़ पहुंचकर कृषि उपज मंडी समिति परिसर स्थित राज्य विपणन संघ के उर्वरक भंडारण एवं वितरण केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को वितरित टोकन अनुसार शत प्रतिशत किसानों को सुगमतापूर्वक खाद वितरण कराने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने केंद्र में उपलब्ध स्टॉक का अवलोकन किया और खाद की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। भापतपुर कुर्मियान निवासी कृषक लच्छी अहिरवार सहित अन्य किसानों से वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। सभी किसानों ने चर्चा के दौरान बताया कि केंद्र पर टोकन वितरण के पश्चात आसानी से खाद प्राप्त हो रही है। इस दौरान अधिकारियों को पंजी एवं दस्तावेजों के संधारण सहित केंद्र कि अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उप संचालक कृषि ओ.पी. तिवारी ने मांग अनुसार आगामी दिवसों में मिलने वाली खाद रैक के बारे में अवगत कराया। कलेक्टर श्रीमती परमार ने निरीक्षण के दौरान आगामी माह में संभावित धान उपार्जन प्रक्रिया की तैयारियों संबंधी जानकारी भी ली और प्रस्तावित केंद्रों का पूर्व भ्रमण कर खरीदी सहित उपार्जित स्कंध के भंडारण और परिवहन के संबंध में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम आलोक मार्को, तहसीलदार सुरेन्द्र अहिरवार भी उपस्थित रहे।

आज 4036 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी

पन्ना 10 नवंबर। भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज भी 10 नवंबर को 4036 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है, जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट में लगातार 2 दिनों से वृद्धि जारी रही। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी हुआ था।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि 1500 रुपए किए जाने की स्वीकृति

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रूपए में वृद्धि कर 1500 रूपए किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

मार्च 2023 से 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितम्बर 2023 से 1,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपए की वृद्धि कर नवम्बर 2025 से 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों को सौर ऊर्जीकृत किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे।

शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होना अपेक्षित है, जिससे शासकीय संस्थानों को बचत होगी। रेस्को मोड में शासकीय विभागों व संस्थाओं के भवन पर विकासक इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफटॉप संयंत्र का रखरखाव रेस्को इकाई द्वारा किया जाएगा।

रेस्को परियोजना में ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रत्येक जिले के समस्त शासकीय भवनों जिनकी विद्युत संयोजन की कांट्रेक्ट क्षमता 20 किलोवाट या अधिक है, को सौर ऊर्जीकृत किए जाने के लिए जिलेवार पृथक-पृथक निविदा का प्रावधान था। मंत्रिपरिषद द्वारा पृथक-पृथक के स्थान पर एक ही निविदा संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। 20 किलोवाट कांट्रेक्ट क्षमता से कम के संयत्रों की स्थापना रेस्को व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। वन्य क्षेत्रों एवं ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में कैपेक्स मोड पर सोलर रूफटॉप संयत्र स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी गई।

पेड़ काटने वालों पर नहीं होती कोई कार्यवाही, कैसे हो पर्यावरण संरक्षण

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 10 नवंबर। पंचायत से लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार तक के सभी विभाग पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाने व सुरक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों के बजट स्वीकृत व खर्च होते हैं।

वहीं सामान्य व्यक्ति भी अपनी निजी व खाली शासकीय भूमियों में पेड़ लगाते हैं। किंतु समाज में कई ऐसे अल्प लाभार्थी स्वार्थी लोग हैं जो थोड़े से लाभ के लिए अवसर मिलने पर बिना जरूरत, बिना कारण, बिना शासन की स्वीकृति के पेड़ काट देते हैं य काट लेते हैं, काटकर चोरी कर लेते हैं। जिसकी शिकायत पीड़ित संबंधित व्यक्तियों द्वारा थाना तहसील पंचायत व वन विभाग में की जाती हैं किंतु जिम्मेदार अपने-अपने विभाग की अधिकारिता का हवाला देकर दोषियों पर कार्यवाही नहीं करते एवं पीड़ित शिकायत करता जिसने बड़ी मेहनत लागत से पेड़ लगाए होते हैं दर दर भटकता है तहसीलदार कहते हैं यह थाना का मामला है थाना में शिकायत करने पर थानेदार कहते हैं यह राजस्व का मामला है वन विभाग कहता है इन पेड़ों को काटने वालों पर वन विभाग को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत य नगरीय निकाय कहता है पेड़ काटने संबंधी मामले हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं ऐसे सैकड़ो पेड़ काटने के मामलों की शिकायतों के शिकायतकर्ता थाना तहसील के सालों साल से चक्कर काट रहे हैं और पेड़ काटने वाले गुंडा बनकर घूम रहे हैं इस प्रकार पेड़ काटने वालों पर कोई कार्यवाहियां ना होने से पेड़ लगाने वालों का मनोबल टूटता है एवं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले दोषियों को संरक्षण मिलने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है।

समाचार के माध्यम से बृक्ष रक्षित अधिकारियों को आदेशित किया जाना चाहिए कि किसी भी मद की भूमि में लगे हुए पेड़ों को किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि काटा जाता है तो पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर कम से कम लकड़ी के मूल्य का 10 गुना जुर्माना व जेल अपराधी व अपराध की प्रकृति अनुसार होना चाहिए तभी पेड़ सुरक्षित रह सकते हैं।

एसआईआर का कार्य गंभीरता और प्राथमिकता के साथ करें :संजीव

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र संजीव कुमार झा ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक निर्वाचन सदन, भोपाल में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि समस्त सुपरवाईजर्स, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीगण अपने बीएलओ से बात करें और मैपिंग तथा एन्यूमरेशन फार्म का वितरण कार्य संपन्न कराएं। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से स्वयं और समस्त बीएलओ फील्ड पर मौजूद रहें। प्रत्येक बीएलओ के कार्य की दिन में 3 बार समीक्षा करें और प्रगति से अवगत कराएं। स्वयं भी फील्ड में रहें और जहां कार्य की प्रगति कम हो, वहां स्वयं जाकर बीएलओ से कार्य कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने एन्यूमरेशन फार्म वितरण की जानकारी प्राप्त कर कहा कि शत प्रतिशत मतदाताओं तक समय पर फार्म पहुंचाना सुनिश्चित करें। काम की गति बढ़ाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा चाही गई जानकारी तत्परता से बीएलओ एप में अपडेट करें। सभी अधिकारी एसआईआर के कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में संपादित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम को तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ सुपरवाईजर एवं बीएलओ से समन्वय कर वांछित जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन उपरांत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व आयुक्त सागर संभाग को जानकारी प्रेषित करेंगे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के विषयों से संबंधित लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण कर स्थिति में सुधार लाएं। प्राथमिकता के साथ अपात्रता के प्रकरणों को तत्काल बंद कराया जाए। किसानों से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के निराकरण को वरीयता दें। कलेक्टर श्रीमती परमार ने लंबित टीएल और जनसुनवाई पत्रों की समीक्षा भी की और मंगलवार की जनसुनवाई में शिक्षा, राजस्व, खाद्य विभाग एवं नपा सीएमओ को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

खनिज विभाग के कार्रवाई संबंधी मामलों में तेजी लाने के उद्देश्य से एसडीएम एवं तहसीलदार को अधिकृत करने संबंधी वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी तरह न्यायालयीन मामलों में भी गंभीरतापूर्वक निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में एमएलसी प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही के लिए नवीन चिकित्सकों की आईडी जनरेट कराने, छात्रावास में सोलर सिस्टम की स्थापना तथा शहर के रविवारीय बाजार को नियमित रूप से व्यवस्थित कराने सहित श्री जुगल किशोर लोक के निर्माण कार्य तथा धरमसागर तालाब के सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना के बारे में भी जानकारी ली बैठक में अन्य विभागीय समन्वय के विषयों पर भी चर्चा हुई।

मिलावटी तेल से वाहनों के इंजन हो रहे खराब

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। एथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से पुरानी बाइकों के इंजन में खराबी आने के मामले पन्ना में इन दिनों बढ़ गए हैं। इको फ्रेंडली फ्यूल बनाने के नाम पर पेट्रोल में 10 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित किया जाने लगा है।

पेट्रोल में यह मिलावट पुराने दो पहिया वाहनों को रास नहीं आ रहे हैं। इस कारण रोजाना दो पहिया वाहनों के मिस्त्री के पास पुराने दो पहिया वाहन चलाने वाले सर्विस के लिए आ रही हैं। अय्यूब खान, राजू मिस्त्री ने बताया कि शहर में लगभग 150 दो पहिया वाहन मैकेनिक हैं। उन्होंने बताया कि बीते कुछ माह में सर्विस के लिए आए हैं। इनमें अधिकांश दोपहिया वाहनों में कार्बोरेटर की परेशानी आ रही है। इसका कारण पुराने वाहनों में पेट्रोल तो जल जाता है, लेकिन ऐथेनॉल की मात्रा बढ़ने से कार्बोरेटर जाम हो जाता है। अलावा कलर में भी अंतर आता है। पेट्रोल में पहले 10 से 12 प्रतिशत की जगह कुछ माह से 20 प्रतिशत एथेनॉल के कारण परेशानी बढ़ी है। बताया पहले पेट्रोल हल्का पीला होता था, लेकिन एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से इसका रंग लाल हो गया है। केंद्र सरकार ने इंपोर्ट घट सके इसलिए एथेनॉल मिश्रण की मात्रा को 12 की जगह 20 प्रतिशत कर दी है।

बीते कुछ माह से ये परेशानी शुरू हुई थी, जो अब बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पुराने वाहन 2018 के पहले ई-5 के आते थे, यानी यह वाहन पट्रोल में 5 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित से चल सकते थे, अब नए वाहन तो ई - 20 सपोर्ट, प्रतिशत की बढ़ोत्तरी वाले आने लगे है। लेकिन पुराने दो एवं चार पहिया वाहन की क्षमता में दिक्कत हो रही है।

शाहनगर में वार्षिक चंडी मेला 20 से 27 तक, समिति की बैठक हुई

शाहनगर/पन्ना 10 नवंबर। शाहनगर ग्राम पंचायत शाहनगर अंतर्गत आयोजित होने वाला वार्षिक चंडी मेला इस वर्ष 20 नवम्बर से 27 नवम्बर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। मेला आयोजन की तैयारियों को लेकर आज दिनांक 10 नवम्बर 2025 को मेला प्रबंधन समिति शाहनगर की बैठक ग्राम पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच मनोज कुमार जैन ने की। बैठक में मेला व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, यातायात नियंत्रण एवं अस्थायी दुकानों के निर्धारण जैसे विषयों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि मेले के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।

जब नौकरी नहीं मिलती तो कहीं भी जाने को तैयार, जब मिल गई तो गृह जिले का जुगाड़

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 नवंबर। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है और बहुत बडा संकट बनकर सामने हैं लोग नौकरी पाने के लिए कहीं भी किसी भी तरह हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं लेकिन नौकरी मिलने के बाद उन्हें अपने ग्रह नगर का मोह सताने लगता है। किन्तु जैसे ही सरकारी पद पर नौकरी मिल जाती है तो फिर गृह जिले की ओर भागने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गृह जिले की ओर भागने वाले ऐसे शासकीय कर्मचारियों का बाहर मन ही नही लगता और अपने गृह जिलों में पदस्थ होने के बाद वे राजनीति में भागीदार बनने का प्रयास करते हैं।

किसी न किसी राजनैतिक दल, नेता, मंत्री या विधायक की चापलुसी फिर ऐसे लोगों की आदतों में शामिल हो जाता है। जब जिलों में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो फिर सरकारी कामकाज भी प्रभावित होता है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिले में पदस्थ होता है वह भी समझ जाता है कि स्थानीय कर्मचारियों के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होता किंतु कोई कुछ नहीं कर पाता।

सरकार ही बनाती है नीति:- सरकार ही इस तरह की नीति बनाती है जिससे सरकारी कर्मचारियों को दूसरे जिलों में पदस्थ होने के चंद समय के बाद गृह जिले में भागने का अवसर मिल जाता है। सरकार के ही नेता व मंत्री सिफारिसें भी करते हैं और जिम्मेदार अफसरों पर भी दबाब बनाते हैं जिससे गृह जिलो में भागने का प्रयास करने वाले सफल हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ तरह की धारणा ही बन चुकी है। लिहाजा जो भी बाहर दूसरे जिलों में पदस्थ होता या पहली पदस्थापना होती है वह अपने गृह जिले में पदस्थ होने के लिये सभी दाव पेंच लगा देता है।

स्वैच्छिक तबादलों का जोर:- तबादलों में भी अब प्रशासनिक तबादले कम हो रहे हैं। बल्कि स्वैच्छिक तबादले अधिक हो रहे हैं। प्रशासनिक तबादला होता है तो विभाग को कर्मचारी व अधिकारी को खर्च भी देना पड़ता है। इसके अलावा कर्मचारी हो या अधिकारी वह भी नही चाहता कि उसका प्रशासनिक तबादला हो। क्योंकि वह इस जुगाड़ में रहता है कि तबादला उसकी इच्छा व पसंद के अनुसार हो। इसलिये अधिकांश तबादले स्वेच्छिक आधार पर होते हैं। जो कर्मचारी एवं अधिकारियों की पसंद के अनुसार होते हैं। इसी स्वैच्छिक का दूसरा अर्थ है जहां सरकारी नौकरी में आराम रहे, जहां वेतन आराम से मिलता रहे, जहां ऊपरी आमदनी भी हो सके, जहां अफसर भी पसंद का हो और संरक्षण देने वाला हो। इस तरह से कई विकल्पों पर विचार करने के बाद सरकारी कर्मचारी दूसरे जिलो से गृह जिलो में पदस्थ होने पर विचार करते हैं और जुगाड़ करते हैं। किन्तु इससे सरकार की गतिविधियों का भला नहीं होता, जनता के काम नहीं होते, शिकायतों का अंबार इसी कारण से लगा रहता है क्योंकि गृह जिले में पदस्थ होने वाला कर्मचारी अलाल हो जाता है, वह आधा नेता भी हो जाता है वह विभागीय गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता। लिहाजा सरकार की छवि खराब होती है, सरकारी प्रगति प्रभावित होती है, कारण बताओ नोटिस जारी होती रहती है। अधिक हुआ तो निलंबन हो जाता है किन्तु कुछ दिनों के बाद फिर बहाली हो जाती है।

अधिक हुआ तो विभागीय जांच शुरू हो जाती है और वह भी कुछ दिनों के बाद मैनेज हो जाती है। इसलिये झंझावत भी आती हैं तो उसकी चिन्ता नहीं होती। किन्तु सवाल यही है कि आज तक किसी भी सरकार ने इस विषय में विचार नहीं किया कि गृह जिलो में यदि किसी स्थानीय कर्मचारी की पदस्थापना करनी है तो उसका प्रतिशत कितना होना चाहिये, हर जिलों में दूसरे जिलों के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होना चाहिये। यही कारण है कि गलत नीतियों के क्रियान्वयन का असर जनता पर भी पड़ता है।

तबादला उद्योग को लाभ

सरकार कोई भी हो सरकारी तबादलों को लेकर लेनदेन एवं दलाली हमेशा चली है। यह भी देखा गया है कि तबादलों में खर्च होने वाली राशि की मांग भी बढ़ी है। सूत्रो के अनुसार अब की स्थिति में छोटे पदों के तबादलों का रेट एक लाख तक पहुच चुका है। फिर बड़े पदों और मलाईदार पदों के बारे में सोचा जा सकता है। यही कारण है कि जहां तबादलों को लाभ के धंधे के रूप में देखा जायेगा और उसका उपयोग भी होगा तो कोई भी जो बाहर फंसा हुआ है और दूर पदस्थ है तो वह क्यों नहीं चाहेगा कि अपने जिले में तो एक बार पहुचे। कई लोग इसी फार्मूले के तहत दूसरे जिलों से गृह जिले तक पहुचे और फिर कभी वापस गये ही नहीं। कई तो प्रतिनियुक्तियों के आधार पर ही आ गये और फिर वापस नहीं लौटे। इस तरह से नौकरियों में तबादलों को लेकर भी बड़ा खेल प्रदेश स्तर से भी होता है और जिला स्तर पर भी होता है। सामान्य रूप से यह सब समझ में नहीं आता किन्तु अंदर झांकने का प्रयास किया जाय तो सब कुछ समझ में आ जाता है।

रिक्त पदों पर भी असर

जब किसी विभाग में कोई कर्मचारी दूसरे जिलों से स्थानान्तरित होकर गृह जिले में पदस्थ होता है तो वह रिक्त पद के विरूद्ध ही आता है। वही रिक्त पद यदि नहीं भरता तो गणना के दौरान संबंधित जिले व विभाग की गणना में जुड़ जाता है। जहां कभी भर्तियां हुई तो वह रिक्त पदों की संख्या के रूप में प्रदर्शित होने लगता है। जब सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति पदस्थापना के बाद अपने गृह जिले की ओर पहुच जाता है तो उस जिले में उसका पद फिर रिक्त हो जाता है। इस तरह से ऐसे जिलों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती रहती है। चूंकि प्रदेश में एवं विभागों में कर्मचारियों का तबादला इस आधार पर नहीं किया जाता ताकि जिलो में रिक्त व भरे पदो में भी संतुलन बना रहे। बल्कि वसूली की अबैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसलिये कई जिलो के सरकारी विभागो में कर्मचारियों की संख्या इतनी न्यून हो जाती है कि वहां की गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं।